

तारीख हुकम

५/०२/२०१६ हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

डॉ. म. पु. काश V/S का. तुरी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

16/1/18

वकील उमरप्रसाद उपाध्याय लक्ष्मण-चाहा अत्र!
पत्रावली-चाहे न्याय किनोक न/२/१८
को पेश हो।

चिगा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

१/२/१८

वकील उमरप्रसाद उपाध्याय लक्ष्मण-चाहा अत्र!
पत्रावली-चाहे न्याय किनोक न/३/१८
को पेश हो।

चिगा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

१/३/१८

वकील उमरप्रसाद उपाध्याय लक्ष्मण-चाहा अत्र!
पत्रावली-चाहे न्याय किनोक न/३/१८
को पेश हो।

चिगा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

२/३/१८

वकील उमरप्रसाद उपाध्याय लक्ष्मण-चाहा अत्र!
वकील अपीलावे
की अग्रान लक्ष्मण शर्मा ने प्रकरण में
हिदायत पेश की नहीं है। अतः अग्रान कराने
हुए अपील अवशेष करके जाने का कथन
किया। वकील इम्पीडर ने अपील अवशेष
करके जाने की सहमती दी। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। वकील अपीलावे
संघ ही अपील को आगे नहीं चलाना
चाहता है। ऐसी स्थिति में इस अपील
को आगे चलाने का कोई अर्थ नहीं
पुनीत नहीं होता है अतः अपील अपीलावे
अवशेष की जाती है। पत्रावली फिल
अनुसार होकर नम्बर से कम है। अतः
सह-चायालय विधिवत सूचित है। पत्रावली
आइ वकील आचना करके दफ्तर हो
आदेश सुनाया गया।

चिगा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

10/1/18
2/3/18